कार्यालय संचालक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी
(राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय)
एयरपोर्ट बायपास रोड गांधी नगर के पास, भोपाल–462033

बी.ई./एम.सी.ए./बी.ई. लेटरल/एम.सी.ए. लेटरल पाठ्यक्रमों हेतु संस्था स्तर की काउंसिलिंग दिनांक 15/08/2016

संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा सत्र 2016–17 के लिये आयोजित की गई काउंसिलिंग में दिनांक 14/8/2016 को जिन अभ्यार्थियों को इस संस्था में सीटें आवंटित की गई है, को संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा घोषित किये गये काउंसिलिंग के कार्यक्रम अनुसार दिनांक 15/08/2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक इस संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करना है । इस हेतु संस्था के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल में उपस्थित हो कर प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर आवश्यक शुल्क जमा करना होगा । विभिन्न श्रेणियों के लिए आवश्यक शुल्क की जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट www.uitrgpv.ac.in पर उपलब्ध है । इस हेतु संस्था कार्यालय दिनांक 14/08/2016 को अपरान्ह 2.00 बजे से 5.30 बजे तक एवं दिनांक 15/08/2016 को प्रातः 10.30 बजे से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण होने तक खुला रहेगा ।

यदि आवंटित सीटों पर किसी अभ्यार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही निर्धारित समय काल में पूर्ण नही की जाती है तो रिक्त हुई संभावित सीटों अथवा ऐसी सीटे जो संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा दिनांक 14/8/2016 को जारी किये गये आवंटन के उपरांत रिक्त रह गई है, हेतु संस्था स्तर की काउंसिलिंग आयोजित की जावेगी। यह काउंसिलिंग संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा इस हेतु जारी किये गये दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप आयोजित की जावेगी। इस हेतु अभ्यार्थियों को वेवसाईट www.dtempcounselling.org एवं www.dte.mponline.gov.in पर दिये निर्देशानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक–पृथक रूप से एम.पी.ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात दिनांक 15/08/2016 को संस्था स्तर की काउंसिलिंग हेतु इस संस्था के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 2.30 बजे के मध्य उपस्थिति दर्ज करवाना होगा।

काउंसिलिंग हेतु रिक्तियों की पाठ्यक्रमवार एवं श्रेणीवार जानकारी संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा उपरोक्तानुसार घोषित किये गये समय की समाप्ति के बाद (15/08/2016 अपरान्ह 2.00 बजे) रिक्तियों की गणना करने के पश्चात घोषित की जा सकेगी ।

संस्था स्तर की कांउसिलिंग हेतु अतिरिक्त दिशा–निर्देश

1. संस्था स्तर की कांउसिलिंग संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा समय–समय पर जारी किये गये नियमों एवं दिशा निर्देशानुसार आयोजित की जावेगी । इस हेतु जानकारी अभ्यार्थी वेवसाईट www.dtempcounselling.org तथा www.dte.mponline.gov.in से प्राप्त कर सकते है ।

2. रिक्तियों की संख्या काउंसिलिग के समय पूर्व मे प्रवेशित छात्रों द्वारा प्रवेश निरस्त कराने की स्थिति में बढ भी सकती है । केवल उन्ही अभ्यार्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जावेगा जो कि उपरोक्तानुसार ससमय (दिनांक 15.08.2016 को दोपहर 2.30 बजे तक) अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेंगे । तत्पश्चात अगर कोई अन्य सीट रिक्त होती है तो उसे, जैसे ही वह रिक्त होती है, काउंसिलिंग में शामिल कर लिया जावेगा।
3. यदि किसी श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नही होते है तो उस श्रेणी की सीटों को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार अन्य श्रेणी की सीटों मे परिवर्तित कर दिया जावेगा ।
4. काउंसिलिंग हेतु दिनांक 15/8/2016 को प्रातः 11.00 से अपरान्ह 2.30 बजे के मध्य संस्था के मुख्य भवन के प्रथम तल में स्थित कांन्फ्रेंस हाल में समस्त मूल प्रमाण–पत्र यथाः संस्था स्तर की काउंसिलिंग की पंजीयन की पावती, 10वी एवं 12वी कक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची (आईआईटी–जेईई मेन्स), डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अंकसूची (बी.ई. लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम के लिये), स्नातक स्तर की अंकसूची, (एम.सी.ए. /एम.सी.ए.लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु) मूल निवासी प्रमाण पत्र/अभिभावक का घोषणा पत्र, ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रति, जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र/ अभिभावक का घोषणा पत्र (यदि लागू हो तो) एवं सभी मूल प्रमाण पत्रों की तीन छायाप्रतियां एवं चार फोटोग्राफ के साथ स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

5- प्रवेश होने की स्थिति में शिक्षण शुल्क अग्रिम के रूप में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को रू.10,000/– एवं मध्यप्रदेश के आरक्षित श्रेणी (यथा SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोडकर)) के अभ्यार्थियों को रू. 4,100/– प्रवेश के समय जमा करना अनिवार्य होगा, शुल्क की बकाया राशि प्रवेश उपरांत एक सप्ताह के अंतराल में जमा करनी होगी। उपलब्ध स्थानों पर प्रवेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जावेगा। बगैर मूल प्रमाण पत्रों के काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।